(MIJ) 2018, Vol. No. 4, Jan-Dec **e-ISSN: 2454-924X; p-ISSN: 2454-8103**

# WOMEN EMPOWERMENT AND EDUCATION

**Dr. (Smt.) Ranjana Kulshreshtha**

*Associate Professor & HOD (Hindi), Th. Biri Singh College, Tundla, Firozabad*

महिला सशक्तिकरण और शिक्षा

**डॉ० (श्रीमती) रंजना कुलश्रेष्ठ**

एसोसियेट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (हिन्दी) ठा० बीरी सिंह महाविद्यालय टूण्डला फिरोजाबाद

---

किसी भी समाज का स्वरूप वहाँ की नारी की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि उसकी स्थिति सुदृढ एवं सम्मानजनक है तो समाज भी सुदृढ़ और मज़बूत होगा । जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है—

यत्र नारी पूज्यंते, रमन्ते तत्र देवता।

प्राचीन भारतीय इतिहास इस बात का साक्षी है कि स्त्रियों का समाज में सम्मान था, उसे समाज में स्त्रियों को पर्याप्त रूप से बिना किसी भेदभाव के शिक्षा दी जाती थी। हिन्दी साहित्य में जब दृष्टि डाली जाए तो पिछले 50 वर्षों में अनेकानेक परिवर्तन हुए। अनेक नए आन्दोलन नई धुरी के रूप में साहित्य की दुनिया में सम्मिलित हुए, नारी सशक्तिकरण इन्हीं में से एक है। आज सशक्तिकरण की नयी परिभाषा, नया दृष्टिकोण सर्वत्र नज़र आ रहा है। जिस खामोशी ने नारी को कैद कर रखा था अब वह तार्किकता और प्रश्नाकुलता की तरफ बढ़ रही है। लेकिन नारी में इतनी शक्ति होने के बावजूद भी उसके सशक्तिकरण की आवश्यकता महसूस हो रही है। महिलाओं के सशक्तिकरण का अर्थ इनके आर्थिक फैसलों, आय, संपत्ति और दूसरे वस्तुओं की उपलब्धता से है इन सुविधाओं को पाकर ही वह अपने सामाजिक स्तर को ऊँचा उठा सकती है। राष्ट्र के विकास में महिलाओं के अधिकार के बारे में जागरूकता लाने के लिए मातृ दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आदि जैसे कई कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाये जा रहे हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों एवं मूल्यों को मारने वाली उन राक्षसी सोच जैसे कि दहेज प्रथा, अशिक्षा, यौन हिंसा, असमानता, कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलु हिंसा को मारना जरूरी है। अपने समाज में उच्च स्तर की लैंगिक असमानता है। नारी सशक्तिकरण का असली अर्थ तभी समझ में आयेगा जब उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान की जाएगी और उन्हें इस

काबिल बनाया जाएगा ताकि वे हर क्षेत्र में स्वतंत्र होकर फैसले ले सके। व्यापक अर्थों में महिला सशक्तीकरण का अर्थ है क्या महिला भयमुक्त होकर, सम्मान खोये बिना, जिस लक्ष्य को पाना चाहती है, उसका प्रयास कर सकती है ? और अपने गन्तव्य तक पहुँच सकती है? उसे संचार का हक हो, सुरक्षा मिले, आर्थिक निर्भरता समाप्त करने के पर्याप्त साधन उपलब्ध हों, उसकी इच्छा, अनिच्छा एवं सुझावों को परिवार, समाज व देश स्तर पर सम्मान मिले, उसे अपनी योग्यता बढाने का अवसर मिले, धन सम्पति में हक मिले, रोज-रोज के एकरस, उबाउ तथा कमरतोड कामों से राहत मिले, देश की प्रगति तथा गौरव बढ़ाने में उसकी भागीदारी हो । भारत में सदियों से महिलायें पद-दलित अवस्था में जीवन व्यतीत कर रहीं हैं। हमेशा उनकी स्थिति पुरूषों से कम आंकी जाती है। लिंग आधारित सामाजिक विभेदीकरण महिलाओं के पिछडेपन का एक बड़ा कारण रहा है। प्रत्येक समाज में लिंग के आधार पर भूमिकाओं का विभाजन होता है। स्त्री का अधिकांश श्रम तथा समय घर के कामकाज में व्यतीत होता है। यह मुख्यतः इसलिये है क्योंकि स्त्रियाँ बच्चों को पैदा करती हैं, उन्हें पालती हैं जैसा कि अनेक समाजों में देखने को मिलता है कि महिलायें हल्के-फुल्के कार्य करती है तथा पुरूष भारी काम करते है क्योंकि पुरुष शारीरिक रूप से महिलाओं से अधिक बलवान होते हैं। हालांकि समाज में इसके कुछ अपवाद भी है। महिलाओं का सशक्तिकरण उन्हें क्षितिज दिखाने का प्रयास हैं जिससे वे नई क्षमताओं को प्राप्त कर स्वयं को नये तरीके से देखेंगी, घरेलू शक्ति सम्बन्धों का बेहतर समायोजन करेगी और घर एवं पर्यावरण में स्वायत्तता की अनुभूति करेंगी। महिलाओं का सशक्तिकरण एक लगातार चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है जिसका मूल उद्देश्य हाशिए के लोगों को मुख्यधारा में लाना और सत्ता संरचना में भागीदार बनाना है। महिला सशक्तिकरण का आशय नारी के अपने अधिकार, सम्मान एवं योग्यता में संवर्धन की ओर अग्रसर करना है।' महिला सशक्किरण की राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य भी महिलाओं की प्रगति, विकास एवं आत्मशक्ति को सुनिश्चित करना है। आज जब हम महिला सशक्तिकरण पर चर्चा करते हैं तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि प्रकृति ने बिना किसी भेदभाव के पुरुष और महिला की रचना की। दोनों विकास की गाड़ी के दो पहिए हैं अतः दोनों को समान रूप से सशक्त एवं गतिशील होना आवश्यक है।

वैदिककाल से लेकर आज तक नारी शिक्षा और उसके विकास पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया नारी को शिक्षा से वंचित किया गया तब-तब उनकी स्थिति समाज में उत्तरोत्तर गिरती गई है, लेकिन क्योंकि जब-जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय परिवेश में जब नारी को शिक्षा के क्षेत्र में आने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ तो उसका प्रतिफल उनके विकास के रूप में हमारे सामने आया। इतना ही नहीं 21वीं सदी आते-आते शिक्षा के प्रभाव ने नारी को पुरुषों की भाँति आमने सामने खड़ा कर दिया है। नारी की स्थिति में सुधार स्वतंत्रता प्राप्ति बाद धीरे-धीरे होने

लगा जिसका मुख्य कारण ये रहा कि स्त्रियों शिक्षा के क्षेत्र में कोई प्रतिबंध नहीं रहा लेकिन 150 वर्षों की गुल तथा जो कुरीतियाँ लम्बे समय से समाज में अपना जड़ जमा ली वह एकाएक समाप्त नहीं हो सकती थीं और उसी का प्रभाव रहा लम्बे समय तक स्त्रियाँ समाज के सभी क्षेत्रों में पिछड़ी रही। 21 शताब्दी का प्रारम्भ नारी के स्थिति के लिए नये सूर्योदय के समा हुआ। आज नारी किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है। उन्हो अपने योग्यता के आधार पर सभी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक शैक्षिक, राजनैतिक अधिकार प्राप्त कर लिए हैं जिस पर कभी पुरु का एकाधिकार था। आज भारतवर्ष का प्रथम नागरिक यानि राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जो एक महिला ही हैं। ये सत्य है कि नारी को इस स्थिति में पहुँचाने में सरकार का किया हुआ प्रयास अतुलनीय है। सरकार ने भी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संविधान में प्रावधान दिये है— जो महिला समानता की नीति पर आधारित है अर्थात् इसके द्वारा महिलाओं को पुरुषों के समान ही अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन संवैधानिक प्रावधानों से महिला सशक्तिकरण की राह आसान हुई है। भारत के संविधान में दिये प्रावधानों पर एक दृष्टि डालते हैं जो निम्नवत है—

1. अनुच्छेद 14 के तहत महिलाओं को समानता के अधिकार दिए गए हैं।
2. अनुच्छेद 15 (1) के द्वारा लिंग आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है।
3. अनुच्छेद 15 (3) में यह उल्लेखित है कि समत का प्रावधान, महिला और बच्चों के लिए विशेष उपाय की राह में व्यवधान नहीं उत्पन्न कर सकते।
4. अनुच्छेद 16 के अनुसार रोजगार भर्ती के समय लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता।
5. अनुच्छेद 39 (क) के तहत महिलाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए निर्देश राज्यों को दिए गए।
6. अनुच्छेद 19 (घ) के द्वारा महिला और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की बात कही गई है।
7. अनुच्छेद 42 के तहत महिलाओं को गर्भावस्था के समय मातृत्व लाभ उपलब्ध कराने की बात कही गई है।
8. अनुच्छेद 51 (ए) (ई) में भारतीय नागरिकों से उम्मीद की गई है कि उन अपमानपूर्ण प्रथाओं का अंत करें जिससे महिला की गरिमा पर नकारात्मक असर पड़ता है। [1]

विभिन्न अधिनियम: विभिन्न अधिनियमों के द्वारा भी महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया मजबूत हुई है।

1. न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948
2. कारखाना अधिनियम, 1948
3. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955
4. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956
5. अनैतिक देह व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956
6. दहेज निषेध अधिनियम, 1961
7. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
8. समान पारिश्रामिक अधिनियम, 1976
9. राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990
10. घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005
11. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 इन अधिनियमों के कारण महिलाओं की स्थिति पहले की की तुलना में बेहतर हुई है।

"शिक्षा सामाजिक सशक्तिकरण के लिए प्रथम एवं मूलभूत साधन है। यह माना जाता है कि शिक्षा ही वह उपकरण है जिससे महिला समाज में अपनी सशक्त, समान व उपयोगी भूमिका की अनुभूति करा सकती है। शिक्षा के आधार पर महिला में दक्षता, कौशल, ज्ञान एवं क्षमताओं का विकास होता है। शिक्षित महिला न केवल स्वयं लाभान्वित होती है, वरन उससे भावी पीढ़ी भी लाभान्वित होती है। शिक्षा किसी भी प्रकार के कौशल की प्राप्ति एवं विवेकपूर्ण दृष्टिकोण के विकास के लिए पूर्णतया आवश्यक है। महिला की शिक्षा से उसका शोषण रोकने में सहायता मिलेगी। निर्णय लेने की क्षमता सशक्तिकरण का एक बड़ा मानक है। शिक्षा का निर्णय लेने की क्षमता से धनात्मक एवं सार्थक आर्थिक सहसम्बन्ध है। न्यून शैक्षिक स्तर का सीधा प्रभाव है इस मानव पूँजी (महिला) का निम्न स्तरीय विकास कुशलता का निम्न स्तर तथा श्रम बाजार में न्यून भागीदारी महिलाओं की वास्तविक स्थिति से व्यक्ति, परिवार, समाज एवं राष्ट्र की सामाजिक, से प्रभावित होती है।'[2]

शिक्षा जीवन के दरवाजे की कुंजी है जिसका लक्ष्य ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाना तथा अज्ञानता रूपी अंधेरे को दूर करना है। मकोल व अन्य के अनुसार किसी भी समाज या राष्ट्र की प्रगति के लिए महिला शिक्षा को विशेष महत्व है। किसी भी शिक्षित समाज की वास्तविक स्थिति जानने का तरीका है कि हम यह जानने का प्रयास करें कि समाज में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति कैसी

है, उनको क्या राजनीतिक व अधिकार प्राप्त हुए हैं और उनकी मूलभूत संसाधनों तक कितनी पहुँच है तथा । प्रक्रिया में सामाजिक निर्णय निर्माण की में उनकी कितनी सहभागिता है? देखा जाय तो महिलाओं की शिक्षा विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है जिसने महिलाओं का स्तर और उनकी समाज में भूमिका को उठाने में सहायता की है।[3]

शिक्षा किसी भी व्यक्ति के सुखद जीवन की का मजबूत आधारशिला तैयार करती है। शिक्षा के द्वारा एक महिला असहाय व अबला से सषक्त और सबला बनती है। महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य है महिलाओं में छिपी हुई उन शक्तियों, गुणों तथा प्रतिभाओं को विकसित करना, जिनको व्यवहार में लाकर व अपने विकास की ओर स्वयं कदम बढ़ा सके यह कार्य केवल शिक्षा के द्वारा ही सम्भव है। विश्व विकास रिपोर्ट 1993-99 स्पष्ट करती है कि महिला शिक्षा आर्थिक विकास सहायक होने के साथ ही प्रजननता को कम करके बच्चों के उचित पालन पोषण तथा माता-पिता एवं बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य में सहायक होती है। सामान्य तौर पर शिक्षा आर्थिक आत्मनिर्भरता में सहायक होती है। इससे महिलाओं का सामाजिक स्तर ऊपर उठता है तथा उनका सशक्तिकरण होता है। आर्थिक स्वायत्तता से निर्भरता एवं पुरुष प्रधानता तथा वर्धस्य व्यस्त होने से न सिर्फ महिला व्यक्तिगत स्तर पर लाभान्वित होगी अपितु सामाजिक स्तर पर ऐसे परिवर्तन घटित होगें कि पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न होकर रह जायेगी और जगह एक नयी समाजवादी व्यवस्था उभर कर सामने आयेगी जिसमें महिला और पुरुष दोनों का समान महत्व होगा। "संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब पूरे विश्व के लिए धारणीय विकास के लक्ष्य निर्धारित किये तब उसमें समावेशी शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया शिक्षा से वंचित वर्गों में पूरे विश्व में सबसे बड़ा हिस्सा महिलओं का है। पूरे विश्व में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में शिक्षा का स्तर आधे से भी कम है। भारत में स्वतन्त्रता के समय यह स्थिति अत्यन्त विकट थी। पुरुषों में सारक्षता की दर 20 प्रतिशत थी वहीं महिलाओं की की साक्षरता केवल 8.9 प्रतिशत थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जहाँ पुरुषों की साक्षरता दर 82 प्रतिशत थी वहीं महिलाओं की साक्षरता दर 63.5 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखण्ड आदि राज्यों में यह 55 प्रतिशत से भी कम है। महिला साक्षरता के हिसाब से बिहार सबसे पिछड़ा प्रदेश है जहाँ केवल 51 प्रतिशत महिलाएँ साक्षर हैं। इस परिस्थति से स्पष्ट होता है स्वतन्त्रता के 70 वर्षों के बाद भी महिला शिक्षा के लिए विशेष प्रयास करना आवश्यक है।"[4]

शिक्षा महिलाओं के सशक्तिकरण में सहायक उद्देश्य है, शिक्षा के द्वारा ही महिलाओं में तेजी से बदलती हुई विश्व की वास्तविकताओं को समझने के लिए आवश्यक विश्लेषाणात्मक कौशल प्राप्त होगा जो उन्हें अपमान पूर्ण और मानवीय स्थितियों का विरोध करने का विश्वास और ताकत प्रदान करेगा। शिक्षा महिलाओं को पितृसत्तात्मक ज्ञान, नियमों मूल्यों, व्यवहार पद्धतियों को चुनौती

देने में मदद करती है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा सामूहिक कार्यवाही और चिन्तन की एक अनवरत जारी रहने वाली प्रक्रिया है। महिलाओं की परिवर्तित प्रस्थिति पर शिक्षा का किस प्रकार प्रभाव पड़ा है? सशक्तिकरण में शिक्षा का स्थान महत्वपूर्ण हैं बिना शिक्षा के महिलाओं की प्रस्थिति में सकारात्मक परिवर्तन असम्भव है। शिक्षा के माध्यम से महिलाओं में जागरूकता आयी है, वे अपने बारे में सोचने लगी है, उन्होंने महसूस किया है कि घर से बाहर भी जीवन है, महिलाओं में आत्मविश्वास का संचार हुआ है, उनके व्यक्तित्व में निखार आया है। महिलाएं न केवल सामान्य शिक्षा, विश्वविद्यालय तथा कालेजों में ही जा रही है बल्कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन रही है, एवरेस्ट की गगन चुम्बी शिखरों पर अपनी विजय पताका लहरा रही हैं, वायु सेना और नौ सेना में अपनी सेवा प्रदान कर रही है। इसप्रकार हर क्षेत्र में नारी ने अपनी सेवाओं को प्रदान कर अपना परचम लहरा रही है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची —

1. भारत का संविधान (डॉ० जय नारायण पाण्डेय) 45 ऐडीसन।
2. देवपुरा प्रतापमल, महिला सशक्तिकरण में शिक्षा का महत्व कुरुक्षेत्र अंक 5 मार्च 2006
3. मकोल नीलम शर्मा संदीप, सामाजिक विकास में शिक्षित महिलाओं का योगदान, कुरुक्षेत्र सितम्बर 2006
4. लवानिया एम.एम. (1989). "समाज शास्त्रीय अनुसंधान का तर्क एवं विधियाँ रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर।

## REFERENCES

1. The constitution of India (Dr Jai Narayan Pandey) 45 Ed.
2. Devpura Pratapmal, Mahila Sashkatikaran me Shiksha ka Mahatva, Kurukshetra, No. 5, March 2006
3. Makol Neelam Sharma Sandeep, Samajik Vikas me Shikshit Mahilaon ka Yogdaan, Kurukshetra, September 2006
4. Lavania M.M. (1989), Samaaj Sashtriya Anusandhaan ka Trak Evum Vidiyaan, Research Publication, Jaipur